Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Misc(Pet.) No. 172 / 2018

1. Kishan Singh Panwar S/o Shri Devi Singh, Aged About 62 Years, By Caste Panwar Rajput, R/o Sector 23, Chopasani Housing Board, Jodhpur.

2. Mag Singh S/o Sh. Achal Singh, By Caste Rajpurohit, R/o Village Chadwas, Tehsil Sojat District Pali, At Present Working As School Lecturer, Government Sr. Sec. School, Siwanchi Gate, Jodhpur.

----Petitioners

Versus

1. State of Rajasthan

2. Shri Babulal S/o Bhiyaram, By Caste Jat R/o Gangana, Panchayat Samiti Luni, District Jodhpur.

----Respondents

<u>Connected With</u>

S.B. Criminal Misc(Pet.) No. 4576 / 2017

Neeraj Kanwar W/o Shri Kuldeep Singh D/o Sh. Bhawani Singh, Aged About 35 Years, By Caste Parmar Rajput, Resident of Pal, Panchayat Samiti Luni, Dist. Jodhpur, At Present Working As Pradhan, Panchayat Samiti, Luni District Jodhpur.

----Petitioner

Versus

1. State of Rajasthan

2. Shri Babulal S/o Bhiyaram, By Caste Jat Resident of Gangana, Panchayat Samiti Luni District Jodhpur.

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr Moti Singh

For Respondent(s) : Mr V.S.Rajpurohit

Mr Dinesh Jain

HON'BLE MR. JUSTICE VIJAY BISHNOI

<u>Judgment / Order</u>

(Uploaded on 17/07/2023 at 12:09:53 PM)
(Downloaded on 26/05/2026 at 06:41:08 AM)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

11/04/2018

Both these criminal misc. petitions under section 482 CrPC are filed by the petitioners with the prayer for quashing of FIR No.174/2015 lodged at Police Station Shastri Nagar, District Jodhpur for the offences punishable under sections 420, 465, 467, 468, 471, 472, 474, 476, 196, 198, 200/34 and 120-B IPC.

The sum and substance of the allegations levelled in the impugned FIR are that petitioner-Neeraj Kanwar, though belonging to Rajput Caste, got issued a forged certificate in her favour about her caste as other backward class for taking illegal benefit of the notification issued by the State Government on 30.09.2013 and on the basis of the said OBC Certificate she contested election and was elected as Member, Panchayat Samiti, Luni for a seat reserved for the OBC category and later on, was elected as Pradhan of Panchayat Samiti, Luni, which was also reserved for OBC category. Allegations regarding cheating and preparation of forged documents have been levelled against Kishan Singh Panwar and Mag Singh (petitioners in S.B.Cr.Misc. Petition No.172/2018) while contending that Kishan Singh Panwar was the Patwari concerned, who has falsely certified that petitioner - Neeraj Kanwar is belonging to OBC category and Mag Singh-petitioner No.2 was the then Senior Teacher of Government Sr. Secondary School, Siwanchi Gate, Jodhpur has wrongly certified the income of father of petitioner - Neeraj Kanwar.

The relevant portion of the impugned FIR is reproduced hereunder:

(Uploaded on 17/07/2023 at 12:09:53 PM)
(Downloaded on 26/05/2026 at 06:41:08 AM)

"1. यह कि राज्य सरकार द्वारा पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव 2015 के मद्देनजर रखते हुए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में पंचायत राज संख्याओं के सदस्यों व अन्य पदो के लिए आवश्यक योग्यता इत्यादि में संशोधन करते हुए पंचायती राज चुनाव 2015 कार्यक्रम घोषित किये गये । जिस अनुसार पंचायत समिति लुणी के निर्वाचित क्षेत्र 21 से अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवार के रूप से अभियुक्त संख्या 1 दिनांक 30.01.2015 को अवैध रूप से निर्वाचित घ ोषित हुई जो मूल रूप से ओ.बी.सी. जाति वर्ग में नही आती है ।

2. यह कि राज्य अन्य पिछडा आयोग जयपुर ने राजसमंद व उदयपुर जिले में निवासरत नातरायत कृषक राजपूत जाति की सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों के मद्देनजर राज्य सरकार से इस जाति को अन्य पिछडा वर्ग में सम्मिलित करने हेतु पत्र दिनांक 16.05. 2013 को अनुशंषा प्रेंषित की जिस पर उक्त दोनो जिलों में निवासरत उक्त जाति वर्ग खरवड, चंदाणा, ऊठंड,परमार, कडेचा, तलादरा दिया गुल व दषाणा को राज्य सरकार ने जरिये अधिसूचना दिनांक 30.09.13 से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) में सम्मिलित कर लिया गया ।

3. यह कि मुलजिमान संख्या 1 ने उक्त नोटिफिकेशन दिनांक 30. 9.13 का अनुचित फायदा लेने के आशय से अन्य मुलजिमानों से मिलिभक्त कर अपने जाति उपवर्ग कुम्भावत के स्थान पर परमार बताकर अनुचित व बेईमानी पूर्वक फायदा प्राप्त करने की नियत से ओ. बी.सी. प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र मुलजिमान संख्या 7 के कार्यालय में प्रस्तुत किया । मुलजिमान संख्या 6 ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए मिथ्या आय प्रमाण पत्र जारी किया जिसमें मुलजिमान संख्या 5 भवानी सिंह जो कि मुलजिमान संख्या1 के पिता है को कृषि व्यवसाय में कार्यरत होना कहकर उसकी वार्षिक आय रूपयें 70,000/– बताई जबकि वास्तव में मुलजिमान संख्या 5 सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी है तथा उसकी वार्षिक आया 70,000/– से काफी अधिक है। मुलजिमान संख्या 2,3, व 4 द्वारा मिथ्या सत्यापन करते हुए ओ.बी.सी. आवेदन में मुलजिमान संख्या 1 को कृषक परमार राजपूत वर्णित करते हुए अपनी सील लगाते हुए हस्ताक्षर किए जबकि इन्हे इस तथ्य की पूर्ण ज्ञान व जानकारी थी, कि मुलजिमान संख्या1 का पीहर जयपुर में है और उसकी परविश मुलजिमान संख्या 5 के क्षत्रिय राजपूत परिवार जो कि

(Uploaded on 17/07/2023 at 12:09:53 PM)
(Downloaded on 26/05/2026 at 06:41:08 AM)

कुम्मावत जाति उपवर्ग में है के जागिदार रीति रिवाज अनुसार हुई थी ।

4. यह कि मुलजिमान संख्या 1 व 5 का संबंध राजसमंद व उदयपुर जिले से कभी भी नही रहा है और न ही उसके परिवार व समाज में नाता प्रथा, बालविवाह व अशिक्षा विघमान है। वस्तुतः उक्त मुलजिमान संख्या 1 व 5 प्राचीन राज दरबारी व जमीदार कौम से संबंध रखते है और उनके परिवार में आदिवासी रीति रिवाज नही अपनाए जाते है जो कि मुलजिमान संख्या 5 द्वारा हाल ही छपवाये गये तीर्थ यात्रा समापन आयोजन के निमंत्रण पत्र से ही प्रथमदृष्टया लक्षित होता है जिसमें प्रेषक का नाम ठाकुर साहिब श्री मुकंदसिंह कुम्भावत व कुवंर भवानीसिंह अंकित करवाया गया ।

5. यह कि नातरायत कृषक (करसा) राजपूत (खरवड, चंदाणा, उठड, परमार, कडेचा, तलादरा,दिया गुल व दषाणा) जाति वर्ग राज्य अन्य पिछडा आयोग की अनुशंषा पर अन्य पिछडा वर्ग की सूची में कमांक 90 पर कृषक (करसा) राजपूत समाज के रूप में जोडा गया लेकिन मुलजिमान संख्या 1 ने अन्य मुलजिमान के साथ आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए राजपूत समाज के साथ संलग्न कृषक शब्द का दुरूपयोग करते हुए अपना आवेदन पत्र ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र बनाने हेतु गलततरीके से अपनी जाति कुम्भावत के स्थान पर कृषक परमार राजपूत लिखते हुए प्रस्तुत किया । जबकि अभियुक्त को पूर्व से ही ज्ञान था, कि वह कृषक (करसा) राजपूत समाज में नही होकर क्षत्रिय राजपूत समाज से संबंध रखती है। मुलजिमान संख्या 5 भवानीसिंह का निवास स्थान व चल अचल जायदाद उके उक्त पतो पर जिला जयपुर में आई हुई है तथा उसका जोधपुर जिले में कभी भी निवास/ठिकान नही रहा बावजूद इसके उसने अपनी पुत्री मुलजिमान संख्या 1 को अवेध लाभ पहूचाने की नियत से फर्जी शपथ पत्र दिनांक 6.01.2015 निष्पादित किया जिसमें स्वयं की जाति कुम्भावत के स्थान पर परमार राजपूत बताया व खुद को जोधपुर निवासी बताते हुए, द्वारा 70,0000/— आय घ ोषित की ताकि उसकी पुत्री अभियुक्त संख्या 1 को अवैध रूप से ओ. बी.सी घेषित करवाकर उसे लुणी पंचायत समिति सदस्य ओ.बी. सी. सदस्य के रूप में निर्वाचित करवा सके । मुलजिमान संख्या 1 द्वारा उक्त शपथ पत्र ओ.बी.सी. ही आवेदन पत्र के साथ पेश करवाया अन्य मुलजिमान संख्या 2,3, व 4 से अपराधिक षड्यंत्र करते हुए अपनी जाति

(Uploaded on 17/07/2023 at 12:09:53 PM)
(Downloaded on 26/05/2026 at 06:41:08 AM)

को विधिविरूद्व तस्दीक करवाया ओर उक्त मिथ्या कूटरचित आवेदन पत्र के आधार पर मुलजिमान संख्या 7 नायब तहसीलदार जोधपुर ने बिना छानबीन व जाँच किए ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र क्रमांक 2548 दिनाँक 13.1. 2015 जारी कर दिया जो प्रारम्भ से ही शुन्य व विधिविरूद्व जारी किया गया है ।

6. यह कि राज्य पंचायती राज चुनाव 2015 के तहत जोधपुर जिले की लुणी तहसील के पंचायत समिति के निर्वाचिन क्षेत्र संख्या 21 से पंचायत सदस्य सीट समान्य महिला वर्ग हेतू तथा पंचायत समिति प्रधान की सीट ओ.बी.सी महिला हेतू आरक्षित थी, जिस पर मुलजिमान संख्या 1 येन केन प्रकरेण विधिविरूद्व तरीके से चुनाव लडते हेतू आतुर थी और कृषक (करसा) राजपूत समाज को मिले ओ.बी.सी. आरक्षण का अवैध फायदा लेने के दुराशय से स्वंय की जाति कुम्भावत के स्थान पर कृषक परमार राजपूत बताकर मिथ्या व फर्जी ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र बनवाकर अपने नोमिनेशन फार्म (नाम निर्देशन पत्र) के साथान सलग्न करते हुए मिथ्या सूचनाए भरकर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया । उक्त नोमिनेशन फार्म के साथ संलग्न किए शपथ पत्र (उपाबंध II) दिनांक 17.01.2015 में भी मुलजिमान संख्या 1 ने अपनी जाति राजपूत ही लिखी जो कि सही है जबकि प्रारूप 4 ख में मुलजिमान संख्या 1 ने अपनी जाति कुम्भावत के स्थान पर परमार राजपूत अंकित की जो मिथ्या अंकित की गई है। इस प्रकार मुलजिमान संख्या 1 द्वारा भर गये नोमिनेशन फार्म के साथ संलग्न शपथ पत्र व प्रारूप 4ख से स्पष्ट जाहिर किया है कि वह क्षत्रिय राजपूत जाति से संबंधित है। अभियुक्त संख्या 1 पिता मुलजिमान संख्या 5 भवानीसिंह की जाति क्षेत्रिय राजपूत (कुम्भावत) है, बावजूद इसके मुलजिमान द्वारा आपराधिक षड्यंत्र रचकर अभियुक्त संख्या 1 को सदोष लाभ पहूचाने व नातरायत कृषक राजपूत समाज के जरूरत मंद व्यक्तियों व आम आदमी को सदोष हानि पहूचाने तथा छल कपट करने के प्रयोजन से स्वंय को कृषक राजपूत परमार जाति दर्शाकर मिथ्या व कूट रचित दस्तावेज ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र बनवाया और इसका प्रयोग करते हुए विधिविरूद्व तरीके से पंचायक समिति लुणी के प्रधान के रूप में लोक सेवक बन गई जो कि उसका अपराध संज्ञेय होने से प्रसंज्ञान लिया जाकर दण्डनीय है ।

(Uploaded on 17/07/2023 at 12:09:53 PM)
(Downloaded on 26/05/2026 at 06:41:08 AM)

7. यह कि मुलजिमान संख्या 1 के पिता मुलजिमान संख्या 5 भवानीसिंह का नाम विधानसभा क्षेत्र विधाधर नगर जयपुर के भाग संख्या 118 के निवार्चिन नामावली वर्ष 2014 में प्रविष्ठि संख्या 184 पर दर्ज सुदा है बावजूद इसके उसने स्वंय को जोधपुर निवासी बताकर झुठा शपथ पत्र दिनांक 06.01.2015 पेश किया ताकि अपनी पुत्री मुलजिमान संख्या 1 को अवैध रूप से ओ.बी.सी प्रमाण पत्र बनवाकर उसका फायदा दिलवा सके।

8. यह कि मुलजिम सख्या 1 ने पंचायत समिति लुणी के प्रधान पद को हासिल करने की नियत से अन्य मुलजिमानों के साथ आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए तैयार किए गये कूटरचित मूल्यवान दस्तावेज ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र के आधार पर ओ.बी.सी. आरक्षित प्रधान सीट पर एक लोक सेवक के रूप में निर्वाचित हो गई जबकि वह नियमानुसार ओ.बी.सी. जाति में नही आकर सामान्य अनारक्षित जाति वर्ग में आती है । इस प्रकार मुलजिमान संख्या 1 ने अन्य मुलजिमान व सहयोगीयो के साथ मिलकर सुनियोजित षडयंत्रपूर्वक व बेईमानी से मिथ्या व फर्जी दस्तावेज को सही रूप में पेश करने तथा उसका गलत फायदा उठाने का आपराधिक कृत्य किया है । अर्थात् मुलजिमान संख्या 1 व 5 ने मिथ्या सूचना देकर तथा मुलजिमान संख्या 2 से 4 द्वारा मिथ्या सूचना का बेईमानी पूर्वक, अनुचित लाभ प्राप्त कर सत्यापन कर मुलजिमान संख्या 7 नायब तहसीलदार जोधपुर को ओ.बी.सी प्रमाण पत्र जारी करने हेतू दुष्प्रेरित किया जिससे नातरायत कृषक राजपूत समाज के जरूरतमंद व्यक्तियों व अन्य योग्य व्यक्तियों को सदोष उपहति/हानि पहूचे और झुठें कूट रचित साक्ष्य को स्वंय के फायदे के लिए सही (genuine) साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया व झुठे मिथ्या घोषण करते हुए ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र प्राप्त कर लियाजिस हेतू उपरोक्त मुलजिमानों को दण्डित करना न्यायोचित है।

9. यह कि मुलजिमान संख्या 1 व 5 ने मुलजिमान संख्या 2,3,4,6 व 7 तथा अन्य सहयोगीयो के साथ मिलकर अपराधिक षडयंत्र पूर्वक धोखाधडी के आशय से फर्जी व मिथ्या ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र की कूट रचना कर पंचायत समिति लुणी के सदस्य व तत्पश्चात प्रधान के चुनाव हेतू नोमिनेशन फार्म के साथ उक्त ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र संबंधित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया व उक्त षड्यंत्रपूर्वक तैयार किये

(Uploaded on 17/07/2023 at 12:09:53 PM)
(Downloaded on 26/05/2026 at 06:41:08 AM)

मूल्यवान दस्तावेज के मिथ्या व कूटरचित होने की जानकारी होते हुए भी उक्त दस्तावेज का प्रयोग सही (genuine) के रूप में किया व कूटरचित प्रमाण पत्र को अपने कब्जे में रखा जिससे मुलजिमान का उक्त अपराधिक कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 465, 467, 468, 471, 472, 474, 476, 196, 198, 200/34, 120बी के तहत दण्डनीय अपराध है।"

It is noticed that petitioners Kishan Singh and Mag Singh are referred as accused Nos. 3 and 6 respectively, whereas petitioner Neeraj Kanwar is referred as accused No.1 in the impugned FIR.

Learned counsel for the petitioners has argued that from bare reading of the allegations contained in the impugned FIR, it is clear that at the most, only the offence punishable under section 171(G) IPC is made out against the petitioner Neeraj Kanwar because the sum and substance of the allegations of the impugned FIR are that she gave wrong description about her caste in the nomination form.

Learned counsel for the petitioners has urged that offence punishable under section 171(G) IPC is a non-cognizable offence and as per the provisions of Section 195 CrPC police have no jurisdiction to register and investigate any complaint regarding commission of a non-cognizable offence without permission of the concerned Magistrate and in the present case, the police without seeking any order from the concerned Magistrate have straightaway registered the FIR and continued with the investigation.

It is further urged that as a matter of fact no offence is

(Uploaded on 17/07/2023 at 12:09:53 PM)
(Downloaded on 26/05/2026 at 06:41:08 AM)

at all made out against the petitioners - Kishan Singh Panwar and Mag Singh as they simply gave certificates on the basis of affidavits filed by the concerned persons and it cannot be said that they have committed any forgery.

In support of the above contentions, learned counsel for the petitioners has placed reliance on decisions of this Court rendered in ***Amita Trivedi & Anr. vs. State of Rajasthan & Anr., 2012(4) Cr.L.R. (Raj.) 2177*** and in ***Sunita & Ors. vs. State of Rajasthan & Anr. (S.B. Cr. Misc. Petition No.96/2016)*** decided on ***31.05.2016*** and prayed that the impugned FIR may be quashed.

Per contra, learned Public Prosecutor as well as the learned counsel appearing on behalf of respondent No.2 in both the petitions have argued that the allegations contained in the impugned FIR do constitute prima facie offence against the petitioners, hence, the FIR cannot be quashed.

Learned counsel Mr Dinesh Jain appearing for the respondent No.2 has further argued that as a matter of fact S.B.Cr.Misc.Petition No.4576/2017 filed on behalf of petitioner-Neeraj Kanwar is not maintainable because earlier she also preferred S.B.Cr.Misc. Petition No.1938/2015 before this Court with a prayer for quashing of the impugned FIR, however, after attempting to argue the case on merits for quite some time, counsel for the petitioner- Neeraj Kanwar did not press the said criminal misc. petition, therefore, the same was dismissed as not pressed on 06.08.2015. It is contended that it is the second

(Uploaded on 17/07/2023 at 12:09:53 PM)
(Downloaded on 26/05/2026 at 06:41:08 AM)

criminal misc. petition seeking similar relief, which is not at all maintainable and liable to be dismissed.

In reply to the above argument of the learned counsel for the respondent No.2, learned counsel for the petitioners has placed reliance on a decision of Hon'ble Supreme Court rendered in ***Superintendent and Remembrancer of Legal Affairs, West Bengal vs. Mohan Singh & Ors., (1975) 3 SCC 706*** and argued that the Hon'ble Supreme Court has held in the said case that in appropriate case, the High Court can exercise its extraordinary powers for quashing the criminal proceedings even if on earlier occasion a similar prayer was refused.

Heard learned counsel for the parties.

The contention of the petitioners to the effect that from bare perusal of allegations levelled in the impugned FIR, no case for commission of cognizable offence is made out, is not tenable. In the above quoted paras of the impugned FIR specific allegations regarding preparation of forged OBC Certificate, Income Certificate and using them as genuine are levelled. If the allegations contained in the impugned FIR are taken at its face value, this Court is of the opinion that a prima facie case for commission of cognizable offence is made out. In such circumstances, the judgment passed by this Court in ***Amita Trivedi & Anr. vs. State of Rajasthan & Anr.*** and ***Sunita & Ors. vs. State of Rajasthan & Anr.*** (supra) are of no help to the petitioners.

It is noticed that the earlier petition filed on behalf of

(Uploaded on 17/07/2023 at 12:09:53 PM)
(Downloaded on 26/05/2026 at 06:41:08 AM)

petitioner-Neeraj Kanwar was dismissed as not pressed with liberty to her to move a representation before the Investigating Officer and pursuant to that, as per the counsel for the petitioners, she moved a detailed representation along with certain documents before the Investigating Officer, however, the Investigating Officer is not taking into consideration the same in right perspective and, therefore, the petitioner-Neeraj Kanwar has preferred this fresh misc. petition (S.B.Cr.Misc. Petition No.4576/2017).

There is no doubt that in appropriate case and in changed circumstances, this Court can entertain a second criminal misc. petition even if on earlier occasion, a prayer for granting similar relief as prayed in the subsequent petition, has been refused by the court, however, in the present case, no such circumstance is pointed out by the learned counsel for the petitioners which warrants interference of this Court. However, for the satisfaction of myself, I have gone through the case diary and carefully scrutinized the material collected by the police during the course of investigation on the basis of which, the police have concluded that prima facie case against the petitioners for commission of cognizable offence such as cheating and preparation of forged document is made out and I am satisfied that the investigation is going on in fair manner.

Resultantly, I do not find any merit in these writ petitions and the same are, therefore, dismissed.

(VIJAY BISHNOI),J.

m.asif/PS

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
RAJASTHAN HIGH COURT
(Uploaded on 17/07/2023 at 12:09:53 PM)
(Downloaded on 26/05/2026 at 06:41:08 AM)